

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

विनायक

बनाम

पार्वती

कस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 33/2022/531

रीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

21/06/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती विनायक

पिता श्री राजेन्द्र जी पारीक

निवासी पंचवरी बेंती चित्तौड़गढ़

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

बोगुन्दा

स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 181 मी.

कुल कीता 1 कुल रकबा 0.4100 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम बोगुन्दा स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 181 मी.

कुल कीता 1 रकबा 0.4100 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500-600 रूपये अक्षर पत्र (या चिप) प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।



(श्याम सुन्दर विष्णोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)